उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्याः 367/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018-3(10)-मा0सं0(04)/2017 दिनांक, 26 फरवरी 2018

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त वेतन आयोग, अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश क्रमशः सं0-6/2017/वे0आ0-2-03-वी0आई0पी0/दस-2017 दिनांक 30 मार्च, 2017, सं0-8/2017/जी-2-75/दस-2017-01 (वे0स0)/2017 दिनांक 07 जून, 2017 एवं सं0-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0स0)/2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के अवसर पर वेतन निर्धारण किये जाने के सन्दर्भ में विकल्प की सुविधा दिये जाने एवं तदनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि के निर्धारण हेतु स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं।

2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा केस्को के कार्मिकों के वेतनमान एवं भत्ते उ0प्र0 शासन के सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों/सिद्धान्तों के अनुसार 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित किये जाने के आदेश उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0-999-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/17-5-काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01.09.2017 की अनुरूपता में निगम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1303/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017-3(10)-मा0सं0(04)/2016 दिनाँक 01.09.2017 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

3. उ0प्र0 शासन द्वारा जारी किये गये उपर्युक्त विषयक स्पष्टीकरण के अनुसार सम्बन्धित मामलों में तत्सम प्रक्रिया व्यवहृत किये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1301-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/17-5-काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनाँक 27.11.2017 एवं सपठित शुद्धि पंत्र संख्या 90-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/18-5-काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनाँक 24.01.2018 की अनुरूपता में एतद्द्वारा निम्नवत् स्पष्टीकरण जारी किये जा रहें हैं :-

(i) ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति/पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 02 जनवरी, 2015 से 01 जुलाई 2015 के मध्य हुई है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में 01 जनवरी, 2016 को कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

(ii) ऐसे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता दिनांक 01 जनवरी, 2016 एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य कराये जाने विषयक निगम आदेश सं0-1303/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017-3(10)-मा0सं0(04)/2016 दिनांक 01.09.2017 के **निर्गमन के मध्य हुई है** एवं उनके द्वारा पूर्व में पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की तिथि को मूल नियम-22ए(1) के अनुसार तथा पूर्व पद/वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि की तिथि को वेतन निर्धारित किये जाने का विकल्प दिया गया है, को पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता पर वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि में पूर्व में दिये गये विकल्प को परिवर्तित किये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी।

(क्रमशः.......2 पर)

(iii) दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में कार्मिकों की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्था अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित कार्मिक को मूल नियम 23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति/ए0सी0पी0 की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम 22(बी)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहेगा। जिन कार्मिकों द्वारा अपनी पदोन्नति/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन पर विकल्प की सुविधा के आदेश के अभाव में कोई विकल्प नहीं दिया गया है, वह इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना विकल्प दे सकेंगे अथवा पूर्व में दिये गये विकल्प को संशोधित कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(iv) ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि का विकल्प दिया गया है, को आगामी वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जायेगी और उसके बाद यह वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

इसी प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम–22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि का विकल्प दिया गया है, को आगामी वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी और उसके बाद यह वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

(v) दिनांक 01.01.16 को सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित होने के पश्चात यदि किसी कार्मिक द्वारा दिनांक 01.01.16 से 06 माह पर दिनांक 01.07.2016 को वेतन वृद्धि प्राप्त कर ली जाती है तो दिनांक 02 जनवरी, 2016 से दिनांक 01 जुलाई, 2016 तक उसकी पदोन्नति होने अथवा ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नय प्राप्त होने पर उसकी अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2017 को देय नहीं रह जायेगी। ऐसी स्थिति में उसे अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2017 को देय होगी।

(vi) कार्यालय ज्ञाप संख्या 1303/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017–3(10)–मा0सं0(04)/2016 दिनांक 01.09.2017 द्वारा सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण अनुमन्य कराये जाने हेतु पूर्व प्रस्तुत विकल्प अपरिवर्तनीय रहेंगें।

(vii) उपरोक्त जारी किये जा रहे स्पष्टीकरण के अनुसार समुचित वेतन निर्धारण किये जाने हेतु उदाहरण क्रमशः संलग्नक 01, 02, 03 एवं 04 पर उपलब्ध हैं।

<u>निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)</u>

<u>सं0 367 –(1)–मा0सं0–(04)/उ0नि0लि0/2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक ओबरा/अनपरा/पारीछा एवं मुख्य अभियन्ता, हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।

(क्रमशः......3पर)

6. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/ईधन/तापीय परिचालन/जानपद–नवपरियोजनायें/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0(01/02/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/ जानपद/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
11. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
12. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–01/05/03/04/रिफार्म) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
15. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ ।
16. कट फाइल।

26.02.18

(दिनेश कुमार शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–04)

निगम के आदेश सं0– 367 /मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017–3(10)–मा0सं0(04)/2016 दिनांक 26 फरवरी 2018 का संलग्नक–1

उदाहरण:–1 किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व होने की स्थिति में वेतन निर्धारण:–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि दि0 10.03.16
3. प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10.03.16 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन 36600
4. प्रोन्नत के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
5. प्रोन्नति की तिथि का विकल्प देने पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 37700
6. लेवल–6 में रू0 37700 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 37900
7. प्रोन्नति की तिथि दि0 10.03.16 को लेवल–6 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 37900
8. कार्मिक की पदोन्नति दि0 02.01.16 से दि0 01.07.16 की अवधि में होने के फलस्वरूप निगम के आदेश दि0 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि0 01 जनवरी, 2017 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि0 01.01.18 को अनुमन्य होगी ।

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/ 6600
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100
2	20500	22400	23100	28000	30700	**37900**	46200	49000	54700
3	21100	23100	23800	28800	31600	39000	47600	50500	56300
4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000
5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700
6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500
7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300
8	24500	26800	27600	33400	**36600**	45200	55200	58600	65200
9	25200	27600	28400	34400	**37700**	46600	56900	60400	67200
10	26000	28400	29300	35400	38800	48000	58600	62200	69200

निगम के आदेश सं0– 367 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2017–3(10)–मा0सं0(04) / 2016 दिनांक 26 फरवरी 2018 का संलग्नक–2

उदाहरण:–2 किसी कार्मिक की प्रोन्नति / वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व होने की स्थिति में वेतन निर्धारण:–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि दि0 10.03.16
3. प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10.03.16 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन रू0 36600
4. प्रोन्नत के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
5. मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अगली वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.16 का विकल्प देने पर प्रोन्नति की तिथि दि0 10.03.16 को मूल नियम 22(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन लेवल–6 में रू0 36600 की धनराशि से अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 36800 यह वेतन दि0 10.03.16 से दि0 30.06.16 तक देय होगा
6. वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.16 को लेवल–5 मे एक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात् वेतन रू0 37700
7. प्रोन्नत पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दियें जाने के पश्चात वेतन रू0 38800
8. लेवल–6 में रू0 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 39000
9. वेतन वृद्धि की तिथि दिनांक 01.07.16 को लेवल–6 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 39000।
10. सातवे वेतन मैट्रिक्स में दि0 01.01.16 को वेतन निर्धारण होने के पश्चात 06 माह पर दि0 01.07.16 को वेतन वृद्धि प्राप्त कर लिये जाने के कारण पदोन्नत के पश्चात अगली वेतन वद्धि दि0 01 जुलाई, 2017 को अनुमन्य होगी।

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/ 6600
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19900	21700	22400	27200	29800	**36800**	44900	47600	53100
2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700
3	21100	23100	23800	28800	31600	**39000**	47600	50500	56300
4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000
5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700
6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500
7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300
8	24500	26800	27600	33400	**36600**	45200	55200	58600	65200
9	25200	27600	28400	34400	**37700**	46600	56900	60400	67200
10	26000	28400	29300	35400	**38800**	48000	58600	62200	69200

निगम के आदेश सं0– 367/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017–3(10)–मा0सं0(04)/2016 दिनांक 26 फरवरी 2018 का संलग्नक–3

उदाहरण:–3 किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 के पश्चात होने की स्थिति में वेतन निर्धारण:–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि दि0 01.07.17
3. प्रोन्नति की तिथि के पूर्व दिनांक 30.06.17 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन रू0 36600
4. नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात दि0 01.07.17 को वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन रू0 37700
5. प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
6. प्रोन्नति की तिथि का विकल्प देने पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 38800
7. लेवल–6 में रू0 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 39000
8. प्रोन्नति की तिथि दि0 01.07.17 को लेवल–5 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 39000
9. कार्मिक की पदोन्नति दि0 02.01.17 से दि0 01.07.17 की अवधि में होने के फलस्वरूप निगम के आदेश दि0 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि0 01 जनवरी, 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि0 01 जनवरी, 2019 को अनुमन्य होगी।

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/6600
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100
2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700
3	21100	23100	23800	28800	31600	39000	47600	50500	56300
4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000
5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700
6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500
7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300
8	24500	26800	27600	33400	**36600**	45200	55200	58600	65200
9	25200	27600	28400	34400	**37700**	46600	56900	60400	67200
10	26000	28400	29300	35400	**38800**	48000	58600	62200	69200

निगम के आदेश सं0 – 367/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017–3(10)–मा0सं0(04)/2016 दिनांक 26 फरवरी 2018 का संलग्नक–4

उदाहरणः–4 किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 होने के पश्चात की स्थिति में वेतन निर्धारणः–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि 01.05.17
3. प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01.05.17 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन 36600
4. प्रोन्नत के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
5. मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अगली वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 का विकल्प देने पर प्रोन्नति की तिथि दि0 01.05.17 को मूल नियम 22(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन लेवल–6 में रू0 36600 की धनराशि से अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 36800 यह वेतन दि0 01.05.17 से दि0 30.06.17 तक देय होगा।
6. वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 को लेवल–5 मे एक नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 37700
7. प्रोन्नति पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 38800
8. लेवल–6 में रू0 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 39000
9. वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 को लेवल–6 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 39000
10. कार्मिक की पदोन्नति दि0 02.01.17 से दि0 01.07.17 की अवधि में होने के फलस्वरूप निगम के आदेश दि0 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि0 01 जनवरी, 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि0 01 जनवरी, 2019 को अनुमन्य होगी।

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/ 6600
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19900	21700	22400	27200	29800	**36800**	44900	47600	53100
2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700
3	21100	23100	23800	28800	31600	**39000**	47600	50500	56300
4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000
5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700
6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500
7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300
8	24500	26800	27600	33400	**36600**	45200	55200	58600	65200
9	25200	27600	28400	34400	**37700**	46600	56900	60400	67200
10	26000	28400	29300	35400	**38800**	48000	58600	62200	69200